परिषद की वर्ष 1980 की द्वितीय बैठक

दिनांक 28-3-80

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 28-3-80 को 10-30 पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1980 की द्वितीय बैठक का कार्य-वृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0बोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री टी0एन0सिंह	एडवोकेट	सदस्य
(3)	श्री राम औतार दीक्षित	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(4)	श्री दयानन्द व्यास	सदस्य, विधान परिषद	सदस्य
(5)	श्री भगवती प्रसाद वर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
	श्री जवाहर लाल शुक्ल	अनुसचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
	श्री कमल पाण्डे	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
	2	3	4
)	दिनांक 25-2-80 को सरकिट हाउस, इलाहाबाद में हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	11/(1)/80	बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
)	परिषद की बैठक दिनांक 25-2-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	11/(2)/80	परिषद द्वारा दिनांक 25-2-80 की बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलि निदेश दिये गये:- 1- अप्रैल के महीने में हरदोई में भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त एवं परिषद सदस्य श्री राम औतार दीक्षित के साथ कार्यक्रम बना लिया जाय जो जिलाधिकारी हरदोई से बातचीत करे के उपरान्त परिणाम से परिषद के अवगत करायें। 2- राज्य विद्युत परिषद से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की सेवा प्राप्त करने के लिये सचिव, राज्य विद्युत परिषद को पुनः लिखा जाय तथा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अधिकारी की नियुक्ति के लिये प्रय किया जाय।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
		उपर्युक्त के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:- '' जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई हो, जिन्हें सेवा से पृथक किया गया हो अथवा जिन्हें सेवाच्युत कर दिया गया हो'' 5- विनियम-55 (4) प्रदेशन एवं कब्जा पत्र के प्रारूप संलग्नक प्रपत्र-1 के स्तम्भ 6 तथा 7 तथा शपथ-पत्र के प्रारूप में निहित उल्लेखों की समीक्षा करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों कीएक उपसमिति बनाई गई:- 1- श्री टी0एन0सिंह 2- श्री राम औतार दीक्षित 3- श्री जे0पी0दुबे 4- श्री कमल पाण्डे उपर्युक्त समिति के निर्णयानुसार संदर्भित विनियम एवं प्रपत्रों में संशोधन करने के उपरान्त विनियमों को गजट में प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जाय।	
) श्री मनोहर लाल वर्मा, सहायक अभियन्ता को अतिरिक्त कार्य हेतु विशेष भत्ते की स्वीकृति।	11/(6)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की।	
क उद्यान निरीक्षक अतिरिक्त पदों का	11/(7)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से सहायक उद्यान निरीक्षक के दो पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की।	
सेवा में राजकीय रियों की प्रतिनियुक्ति शासन के दिनांक 79 के आदेश से कठिनाई।	11/(8)/80	परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं प्रदान की।	
परिषद की ओं में समाविष्ट की अध्यापि अतिरिक्त ग्राम अध्यापि रियों के पदों न।	11/(9)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।	
द्वारा नेशनल कान्स्ट्रक्शन रेशन नई दिल्ली मम से लीबिया नों का निर्माण कार्य ाने के सम्बन्ध में।	11/(10)/80	परिषद ने स्टाफिंग पैटर्न का अवलोकन किया।	
ंकी भूमि विकास हस्थान योजना सं0-3	11/(11)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।	

क0प0उ0

2	3	4
0-सरोजनी नायडू मार्ग वलक (रोड)लखनऊ पर ल पं0सीताकान्त शुक्ला अन्य की भूमि पर वासीय योजना चलाने के बन्ध में।	11/(12)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-28 के अन्तर्गत अर्जन की अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की। परिषद ने यह भी निर्देश दिये कि संलग्न भूमि का भी अर्जन किया जाय।
नपुर भूमि विकास एवं स्थान योजना सं0-2, नपुर।	11/(13)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को परिषद अधिनियम-1965 की धारा-31 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की।
रिषद अधिनियम की रा 28, 29 के अन्तर्गत पत्तियों की सुनवाई हेतु योजन समितियों का गठन।	11/(14)/80	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त विधिक राय लेने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः रखने के निर्देश दिये।
यम आय वर्ग एवं अल्प य वर्ग गृह निर्माण जना के अन्तर्गत मकान ाने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों ऋण वितरण हेतु वर्ष- 73-74 में शासन में परिषद प्राप्त ऋण के अवशेष पर मान आवेदकों से लिए जाने ले व्याज का निर्धारण।	11/(15)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
प आय वर्ग गृह निर्माण जना के अन्तर्गत मकान ाने हेतु व्यक्तिगत आवेदकों ऋण वितरण हेतु वर्ष- 976-79 में शासन से परिषद प्राप्त ऋण पर आवेदकों लिये जाने वाले व्याल का र्धारण।	11/(16)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
यम आय वर्ग गृह निर्माण जना के अन्तर्गत मकान बनाने व्यक्तिगत आवेदकों को ऋण तरण हेतु वर्ष-1978-79 में शासन परिषद को प्राप्त ऋण पर वेदकों से लिये जाने वाले व्याज निर्धारण।	11/(17)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
षद व्दारा निर्धारित मध्यम वर्ग/अल्प आय वर्ग गृह र्माण योजना के अन्तर्गत ऋण लिये आवेदन पत्र के अनुलग्नक-3 गत का प्राक्कलन (तखमीना) नोट का संशोधन।	11/(18)/80	परिषद ने प्रस्तावित नोट को इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की कि 'प्लिन्थ एरिया' रेट 35 से 45 रुपये प्रति वर्ग फुट होना चाहिए।
रिषद कर्मचारियों तथा परिषद प्रतिनियुक्ति पर आये कारियों/कर्मचारियों को रिषद की योजनाओं के र्गत प्रदिष्ट सम्पत्ति के मूल्य बिना दो वर्ष की सेवा अवधि हुए 10% की छूट दिया जाना।	11/(19)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
रिषद योजनाओं में धार्मिक स्थान स्थापना के लिये भूमि का विधान।	11/(20)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद की योजनाओं में धार्मिक संस्थाओं के भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स एवं शर्तों को स्वीकृति प्रदान की तथा निम्नलिखित निर्देश दिये:- 1-100 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली भूमि में धार्मिक संस्थाओं या स्थानों की

कृ0प0उ0

		देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा। 2- प्रस्ताव में निहित गाइड लाइन्स के आधार पर भूमि प्रदिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले पर विचार कर निर्णय लेने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति बनाई गई:- 1- श्री जे0पी0दुबे 2- श्री राम औतार दीक्षित 3- श्री कमल पाण्डे
...विनियमों में ...।	11/(21)/80	परिषद ने सर्वसम्मति से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रस्तावित संशोधित सेवा विनियमों की स्वीकृति प्रदान की।
...की अनुमति ...अन्य विषय।	11/(22)/80	फ्लाइंग लेफ्टीनेन्ट वाई0एस0तोमर को प्रदिष्ट भवन संख्या-सी0-1255 के स्थान पर भवन संख्या-ए0-402 प्रदिष्ट करने के सम्बन्ध में। ========================== परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की।
	11/(23)/80	निर्माण कार्य की समीक्षा(29-2-80 तक)- ========================== परिषद ने निर्माण कार्यों की समीक्षा तथाअधिक से अधिक संख्या में लक्ष्य प्राप्ति के लिये अधिकारियों को बधाई दी।
	11/(24)/80	नन्दनपुरा, झांसी में दो दुकान 4 फ्लैट तथा 1 सामुदायिक केन्द्र का निर्माण ========================== परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
	11/(25)/80	परिषद मुख्यालय पर जनसूचना केन्द्र के भवन का निर्माण। ========================== परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
	11/(26)/80	तालकटोरा योजना, लखनऊ में विद्युत परिषद को सब-स्टेशन हेतु निः शुल्क भूमि देने के सम्बन्ध में। ========================== परिषद ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि टिप्पणी में दर्शाये गये कारणों को मद्दे नजर रखते हुये इस विशेष मामले में भूमि निः शुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी जाती है। यह निर्णय केवल अपवाद स्वरूप ही लिया जा रहा है। इसे Precedent नहीं समझा जाये)
	11/(27)/80	हडको तथा हरिओम आश्रम ट्रस्ट व्दारा संयुक्त रूप से संचालित 'लो कास्ट हाउसिंग डिज़ाइन कम्पीटीशन अरबर-1979' व्दारा उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ तथा नन्दनपुरा योजना झांसी में क्रमशः प्रथम तथा दि्वतीय पुरस्कार प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। ==========================

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			परिषद ने सर्वसम्मति से प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार की प्राप्ति पर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी एवम् उनके लगन एवं परिश्रम की सराहना की तथा यह निदेश दिये कि एक सामूहिक उत्सव में उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाय जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में कार्य किया।

पुष्टि की गई

7/6/80

अध्यक्ष
7.6.80